

4. पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के पात्र छात्र/छात्राओं के लिए वर्ष 2008-09 के लिए छात्रवृत्ति के वास्तविक प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हे कि पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त अपने जिले की माध्यमिक/उ.मा.विद्यालयों में पात्र एवं अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की कक्षावार संख्या व वांछित राशि के वर्ष 2008-09 के वास्तविक प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में सीधे ही मुख्य लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को दिनांक 10.07.2008 तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी भिजवावें।

क्र. सं.	योजना का नाम	कक्षा 6 से 8		कक्षा 9 से 10		राशि
		छात्र/छात्रा	योग	छात्र/छात्रा	योग	
1	अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक					
2	अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक					
3	अन्य पिछड़ी जाति पूर्व मैट्रिक					

छात्र संख्या में कमी/वृद्धि होने पर यदि बजट पर किसी प्रकार का असर हुआ या प्रस्ताव सही न आने पर यदि आपके जिले का कोई विद्यालय/छात्र-छात्रा इस छात्रवृत्ति से वंचित रहा तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से भिजवावें।

ह. उपनिदेशक, मा.शिक्षा, राजस्थान बीकानेर